संचिका सं०– 6 एस०एस०(6)15/2024– 197/ /

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग

प्रेषक,

कुमार रवीन्द्र, बि०प्र०से०,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (ले० एव हक०), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना–15. दिनांक– 27/04/2026.

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

द्वारा :– *आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय :– वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत "मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना" हेतु कुल ₹ 389.65 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख पैंसठ हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय राज्यादेश संख्या–3520, दिनांक–26.07.2024 के क्रम में राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत ''मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना'' हेतु कुल ₹ 389.65 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख पैंसठ हजार) मात्र की लागत व्यय पर योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। योजना की विस्तृत व्यय विवरणी अनुलग्नक–I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII एवं IX के रूप में संलग्न।

2. राज्य की समृद्ध जल–सम्पदा एवं मात्स्यिकी जैव–विविधता के कारण "पालन मात्स्यिकी" से मत्स्य उत्पादन की अपार सम्भावनाएँ हैं, परन्तु इन सम्पदाओं का विवेकपूर्ण दोहन मत्स्य उत्पादन में पूर्ण रूप से नहीं हो सका है। मीठे पानी में "जल–कृषि" के तहत "उम्मीदवार प्रजाति" (Candidate Fish Species) का स्पेक्ट्रम अन्य देशों की तुलना में काफी कम है जबकि मूल प्रजाति के दर्जनों मछलियाँ यहाँ के जल–सम्पदा में मौजूद है। विगत कुछ वर्षों में मत्स्य वैज्ञानिकों के द्वारा पालन मात्स्यिकी में प्रजाति विविधिकरण पर जोर देने के साथ–साथ कई सम्भाव्य मत्स्य प्रजातियों को सफलतापूर्वक प्रजनन कर हैचरी एवं पालन तकनीकी विकसित की गई है। इन मछलियों में माइनर/मिडियम कार्प, कैट फिश, मरैल, झींगा आदि प्रमुख है। इन मछलियों का बेहतरीन स्वाद, औषधिय गुण, उपभोक्ताओं की स्वीकार्यता तथा घरेलू एवं बाहर के बाजारों में माँग के कारण वैज्ञानिकों एवं मत्स्य कृषकों का ध्यान आकृष्ट किया है। वैज्ञानिकों के द्वारा इसे जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न स्थिति में भी मौसम अनुकूल (climate resilience) मत्स्य प्रजाति के रूप में देखा जा रहा है। इन देशी माइनर/मेडियम कार्प, मोती पालन, मछलियों का एकल–पालन, मिक्स पालन अथवा इन्टर–क्रोपिंग प्रजाति के रूप में पालन

मात्स्यिकी में शामिल कर मत्स्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के साथ–साथ किसानों की आमदनी बढ़ाने में भी कारगर साबित हो सकता है।

गत वित्तीय वर्ष की भाँति, चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में भी सात निश्चय–2 के तहत ''मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना'' का स्वीकृति ''चालू योजना'' रूप में प्रस्तावित है।

(i). माइनर/मेडियम कार्प एवं कैट फिश "पालन मात्स्यिकी" में महत्त्व :–

देश एवं प्रदेश के मीठे जल में मुख्यतः देशी एवं विदेशी मेजर कार्प प्रजाति को शामिल कर तालाब में मिश्रित मछली पालन की तकनीकी एक पुरानी पद्धति है जो अभी तक किसानों के बीच प्रचलित है। इन कार्प मछलियों की बेहतर विकास दर एवं हैचरी तकनीक से मत्स्य बीज की ससमय सहज उपलब्धता के कारण मत्स्य कृषकों के द्वारा इसे प्राथमिकता दी जाती है। विगत चार दशकों में मीठे जल में मिश्रित मत्स्य पालन पर निर्भरता एवं अन्य माइनर, कैट फिश, झींगा पालन मात्स्यिकीकी उपेक्षा के कारण मात्स्यिकी एव जलकृषि को बड़ा नुकसान हुआ है। बढ़ते शहरीकरण, नदियों पर बाँध का निर्माण एवं अन्य मानवजनित गतिविधियों के कारण मत्स्य जैव–विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ा है जिसके कारण कई माइनर एवं कैट फिश संकटाग्रस्त (endangered) एवं विलुप्त प्रायः के कगार पर पहुँच गई है। वर्ष 2007–08 में ICAR-NBFGR (National Bureau of Fish Genetic Resources), लखनऊ के द्वारा मूल मत्स्य प्रजातियों के संरक्षण के तहत राज्यों से एक मछली को राजकीय मछली (State Fish) घोषित करते हुए इसके संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु आग्रह किया गया, जिसके फलस्वरूप कई राज्यों के द्वारा अपने–अपने प्रदेश के मूल मत्स्य प्रजाति को State Fish के रूप में घोषित किया गया जिसमें अपना राज्य बिहार भी शामिल है। बिहार में "देशी मांगुर" जो एक कैट फिश है, को वर्ष 2008 में ही राजकीय मछली घोषित किया गया। कुल 28 राज्यों में से 21 राज्यों के द्वारा "State Fish" घोषित किया गया है जिसमें अधिकांश माइनर कार्प एवं कैट फिश संकटाग्रस्त मत्स्य प्रजातियाँ हैं जिसकी संरक्षण एवं संवर्द्धन आवश्यक है।

(ii). झींगा का "पालन मात्स्यिकी" में महत्त्व :–

झींगा "पालन मात्स्यिकी" को बढ़ावा दिया जाना अतिआवश्यकता है। बिहार राज्य में मीठे पानी के झींगा (Macrobrachium rosenbergii) को उसके उच्च बाजार मूल्य एवं जलवायु–सहिष्णुता के कारण इसे मोनोकल्चर एवं पॉलीकल्चर जल कृषि विकल्प के रूप में प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। राज्य में उपलब्ध प्रचुर मीठे जल संसाधन, उपयुक्त जलवायु तथा मछली पालन की पारंपरिक पृष्ठभूमि झींगा पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करती हैं। किसानों के दृष्टिकोण से झींगा एक उच्च मूल्य वाली फसल है, जिससे कम क्षेत्र में अधिक आय अर्जित की जा सकती है तथा पॉलीकल्चर प्रणाली (झींगा के साथ रोहू, कतला,

तिलापिया आदि मछलियों का पालन) अपनाने पर जोखिम भी कम है। मत्स्य एवं जल कृषि के परिप्रेक्ष्य में यह प्रणाली संसाधनों के समुचित उपयोग, कुल उत्पादकता में वृद्धि, जैविक अपशिष्ट के पुनर्चक्रण एवं पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही झींगा की उच्च बाजार मांग एवं निर्यात क्षमता राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकती है। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में झींगा पालन अपेक्षाकृत अधिक सहनशील है, क्योंकि यह विभिन्न तापमान एवं जल गुणवत्ता परिस्थितियों में जीवित रह सकता है तथा बहु–प्रजातीय प्रणाली–सूखा, बाढ़ जैसी परिस्थितियों में किसानों की आय को स्थिर बनाए रखने में सहायक होगा। साथ ही झींगा "पालन मात्स्यिकी" को बढ़ावा देने से न केवल किसानों की आय वृद्धि, रोजगार सृजन एवं पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह मत्स्य क्षेत्र के सतत एवं जलवायु–लचीले विकास की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध होगा।

(iii). मोती पालन का महत्त्व –

मोती एक प्राकृतिक रत्न है और एक प्रकार का मोलस्क (सीप) के द्वारा उत्पन्न होता है। जहाँ एक ओर भारत तथा अन्य देशों में मोती की माँग लगातार बढ़ रही है। वहीं आवश्यकता से अधिक दोहन (Over Exploitation) एवं प्रदूषण के कारण प्रकृति से इसके आपूर्ति में कमी आई है। भारत अपने घरेलू माँग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजार से काफी अत्यधिक मात्रा में सवंर्धित (cultured) मोती का आयात करता है।

आधुनिक संवर्धित मोती पालन में चीन एवं जापान अग्रणी देश है। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर मोती उत्पादन किया जाता है। साथ हीं मोती संवर्द्धन प्रक्रिया तथा तकनीक का व्यवसायीकरण किया गया है एवं मोती उत्पादन तकनीकों को मानकीकृत (Standarized) किया गया। हाल के वर्षों में, मीठे पानी के मोती संवर्धन कुल मोती उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा शामिल है। मीठे पानी के मोती संवर्धन में समुद्री मोती संवर्धन की तुलना में कई फायदे हैं, जैसे कि प्रचुर मात्रा में खेती योग्य क्षेत्र, दूषित, छेद करने वाला और शिकारी जीवों की कमी आदि के कारण तथा अधिक किफायती है। भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और म्यांमार जैसे कई एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर मीठे पानी के मोती संवर्धन को विकसित कर अपनाया है और मोतियों की वैश्विक माँगों को पूरा करने के लिए नए–नए अनुसंधान हेतु प्रयासरत है। केन्द्रीय मीठा पानी जल जीव पालन संस्थान (CIFA), भुवनेश्वर ने देशभर में फैले हुए मीठे जल निकाय में मीठे जल की मोती पालन/संवर्धन की प्रौद्योगिकी विकसित की है। साथ हीं मीठे पानी में मोती पालन की खेती और उत्पादन पर शोध एवं तकनीक विकसित किया गया है। CIFA, भुवनेश्वर के द्वारा मोती उत्पादन

के लिए खेती की प्रक्रिया को मानकीकृत (Standarized) भी किया जा चुका है।

समय के माँग एवं ज्यादा मुनाफा हेतु मात्स्यिकी के साथ–साथ मोती पालन का भी अभिरूचि मत्स्य कृषकों/मोती पालकों के बीच पनप रहा है। जिलों तथा मत्स्य कृषकों/मोती पालकों के माँग को मद्येनजर रखते हुए राज्य में उपलब्ध जल निकायों/तालाबों में मोती पालन की योजना क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है।

(iv). बिहार मात्स्यिकी में प्रजाति विविधिकरण की संभावना :–

बिहार विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक जल–सम्पदाओं से समृद्ध राज्य है। इन जल–सम्पदाओं में नदियाँ, मन, चौर (आर्द्रभूमि), झील आदि प्रमुख हैं जो करीब 100 से अधिक छोटी–बड़ी मत्स्य प्रजातियों का प्राकृतिक "शरण–स्थली" है। बढ़ते शहरीकरण, जल–प्रदूषण, रासायनिक दवाओं का प्रयोग एवं मानवजनित क्रियाकलाप के कारण इन जल–सम्पदाओं एवं मत्स्य जैव–विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव प्रड़ा है। फलतः मूल प्रजाति की कई मछलियाँ संकटाग्रस्त एवं विलुप्त की स्थिति में आ गई है। माइनर कार्प एवं कैट फिश में मुख्यतः साइप्रीनस, मांगुर/सिंघी, मरैल्स, पर्च आदि सम्भाव्ययुक्त देशी समूह की मछलियाँ तथा साथ में झींगा एवं मोती का समावेश "पालन मात्स्यिकी" में करने से राज्य के मत्स्य–उत्पादन एवं कृषकों/मछुआरों के आय में प्रभावी अभिवृद्धि किया जा सकता है। मेजर कार्प के साथ माइनर कार्प/झींगा/मोती का एक साथ पालन किया जा सकता है, इनमें आपसी आहार प्रतिस्पर्धा (Food Competition) भी नहीं है। वर्णित स्थिति के मद्येनजर "चतुर्थ कृषि–रोड–मैप" के तहत मत्स्य प्रजाति विविधिकरण को "केन्द्रित क्षेत्र" (Thrust Area)के रूप में चिन्हित किया गया है जिससे इन देशी मछलियों का बीज उत्पादन एवं पालन से इसका संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ–साथ किसानों की अतिरिक्त आय में वृद्धि हो सके। संभाव्य देशी माइनर/मेडियम कार्प, कैट फिश आदि की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–III पर दी गई है।

3. योजना का नाम एवं विस्तार :–

चतुर्थ कृषि–रोड–मैप में स्वीकृत "केन्द्रित क्षेत्र" (Thrust Area) के तहत चिन्हित इस अवयव को "मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" के नाम से योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना आगामी वर्षों में भी राज्य में क्रियान्वित की जाएगी, परंतु वर्तमान वित्तीय वर्ष गत वर्ष की भाँति राज्य के सभी जिलों में इसका क्रियान्वयन किया जाएगा।

4. योजना का उद्देश्य :–

"मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" का मुख्य उद्देश्य :–

(i). राज्य के जल–सम्पदाओं में मौजूद देशी प्रजाति के संभाव्य (potential) माइनर कार्प एवं कैट फिश की विकसित हैचरी तकनीकी से बीज उत्पादन कर समुचित दर पर मत्स्य कृषकों को उपलब्ध कराना तथा इसके पालन (culture) को बढ़ावा देना (विवरणी अनुलग्नक–IV)। राज्य में विगत वर्षो में कार्यान्वित योजना से 12 अधिष्ठापित माइनर कार्प एवं कैट फिश हैचरियों से इन दोनों मत्स्य प्रजातियों के पालन मात्स्यिकी हेतु मत्स्य कृषकों को बीज उपलब्ध हो सकेगा।

(ii). मौजूदा मेजर कार्प आधारित मत्स्य पालन जैसे–मिश्रित मत्स्य पालन (जिसमें मुख्यतः छः मत्स्य प्रजातियों पर निर्भरता होती है) के प्रजाति आधार को बढ़ाना। पालन मात्स्यिकी के प्रजाति आधार को देशी मूल के माइनर कार्प, कैट फिश, वायु श्वासी मछली, झींगा पालन तथा मोती "पालन" के साथ समावेशन कर बढ़ाना जिससे इनका संरक्षण एवं संवर्द्धन के साथ–साथ मत्स्य उत्पादकता तथा किसानों के वार्षिक आमदनी में वृद्धि हो सके ताकि सुदूर ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके।

5. योजना से लाभ :–

योजना के क्रियान्वयन से निम्न लाभ होने का अनुमान है,

(i). पालन मात्स्यिकी (culture fisheries) का प्रजाति स्पेक्ट्रम/आधार बढ़ेगा जिससे पालन मात्स्यिकी सतत एवं टिकाऊ हो सकेगा।

(ii). मौसम अनुकूल (climate resilience) मात्स्यिकी का व्यवसायिक आधार मज़बूत होगा।

(iii). माइनर कार्प, कैट फिश एवं अन्य छोटी मछलियों तथा मोती एवं झींगा के पालन से इसका संरक्षण एवं संवर्द्धन हो सकेगा।

(iv). किसानों के आय में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा पलायन में कमी आ सकेगी।

6. मुख्य आउटपुट (उत्पादन):–

योजना के क्रियान्वयन से वित्तीय वर्ष 2026–27 में 65 एकड़ में माइनर/मेडियम कार्प, 62.50 एकड़ में कैट फिश "पालन, 51 एकड़ में झींगा पालन तथा 50 एकड़ में मोती "पालन" का लक्ष्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन होने से 91 टन माइनर कार्प एवं 112.5 टन कैट फिश, 35.7 टन झींगा एवं 1.2 लाख मोती का उत्पादन हो सकेगा।

7. मुख्य आउटकम (Outcome):–

(i). राज्य के "पालन मात्स्यिकी" (Culture Fisheries) का प्रजाति आधार/स्पेक्ट्रम बढ़ेगा जिससे "पालन मात्स्यिकी" टिकाऊ एवं सतत हो सकेगा।

(ii). माइनर कार्प, कैट फिश, झींगा एवं मोती का पालन, छोटे–छोटे तालाब (नर्सरी, रियरिंग, बैकयार्ड तालाब) एवं इन्टर क्रोपिंग प्रजाति के रूप में भी सफलतापूर्वक किया जा सकेगा जिससे लघु, सीमांत एवं अन्य मत्स्य किसानों को भी अतिरिक्त आमदनी का कारगर उपाय हो सकेगा।

(iii). राज्य के अधिसंख्य कुपोषित जनसंख्या को पोषण एवं प्रोटीन सुरक्षा का साधन उपलब्ध होगा जिससे इनका शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।

(iv). इसके साथ ही किसानों के आय में वृद्धि तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

8. अनुश्रवण संकेतक (Monitorable Indicator) - माइनर कार्प, कैट फिश, झींगा एवं मोती "पालन मात्स्यिकी" से आच्छादित जलक्षेत्र (एकड़ में) को योजनान्तर्गत monitorable सूचकांक के रूप में उपयोग किया जा सकता है।

9. योजना का संक्षिप्त विवरणी :–

"मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना" के तहत पालन मात्स्यिकी हेतु निम्न मुख्य घटक होंगे –

(i). माइनर कार्प "पालन मात्स्यिकी" की योजना

(ii). कैट फिश एवं अन्य "पालन मात्स्यिकी" की योजना।

(iii). झींगा "पालन मात्स्यिकी" की योजना।

(iv). मोती "पालन" की योजना।

(i). माइनर कार्प "पालन मात्स्यिकी" की योजना :–

राज्य में माइनर कार्प समूह की मछलियों का काफी माँग है तथा इसके बीज का उत्पादन अब राज्य में ही निर्मित हैचरी में ही हो रहा है। वर्तमान योजना के तहत माइनर कार्प समूह के मछलियों के पालन हेतु किसानों को प्रोत्साहित करना है। माइनर कार्प पालन के तहत Labeo gonius(कुर्सा), कालवासु, वाटा, रेवा, मोला, दरही आदि देशी मछलियों को पालन मात्स्यिकी के अंतर्गत किसानों के द्वारा उत्पादन किया जाएगा। माइनर कार्प मछलियों की बीजराज्य में ही उत्पादित बीज प्राप्त कर इसका पालन किया जा सकेगा। इसके पालन हेतु इनपुट व्यय के रूप में मो0 0.94 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र का इकाई लागत आकलित है (अनुलग्नक–V)। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत राज्य के 65 एकड़ (130 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है ।

(ii). कैट फिश एवं अन्य मछलियों की पालन मात्स्यिकी योजना :–

राज्य में कैट फिश एवं अन्य सम्भाव्य मछलियों में मुख्यतः मांगुर, सिंघी, पावदा, मरैल्स, तिलापिया, पंगास आदि प्रमुख है। इन देशी मछलियों के पालन मात्स्यिकी हेतु राज्य के किसानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्तमान योजना क्रियान्वित की जा रही है। इन मछलियों की बीज की उपलब्धता राज्य में ही निर्मित हैचरी में हो रहा है, जहाँ से किसान बीज प्राप्त कर पालन कर सकते है। पालन मात्स्यिकी हेतु कैट फिश समूह के मछलियों का इकाई लागत मो0 1.35 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र आकलित है (अनुलग्नक–VI)। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत कुल 62.5 एकड़ (125 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है।

(iii). झींगा पालन की योजना

मीठे पानी में झींगा (Macrobrachium rosenbergii) पालन एक उच्च मूल्य आधारित, टिकाऊ एवं आय–वर्धक जल कृषि गतिविधि है, जिसे राज्य में प्रोत्साहित किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए राज्य में उपलब्ध विशाल मीठे जल संसाधन, अनुकूल जलवायु एवं मत्स्य पालन की पारंपरिक पृष्ठभूमि झींगा पालन के लिए उपयुक्त आधार प्रदान करता हैं। झींगा पालन से किसानों को उच्च आय प्राप्त होगा तथा पालन हेतु उपलब्ध प्रजातियों में विविधता सुनिश्चित होगा। वर्तमान में बिहार राज्य में झींगा बीज उपलब्ध नहीं है, अतएव इसकी आपूर्ति पश्चिम बंगाल से आसानी से की जा सकती है।राज्य मेंझींगा पालन को बढ़ावा देना राज्य में मत्स्य उत्पादन वृद्धि, किसानों की आय संवर्धन, रोजगार सृजन एवं जलवायु–सहिष्णु कृषि प्रणाली के विकास की दिशा में एक प्रभावी एवं सकारात्मक पहल होगी।

झींगा पालन का इकाई लागत मो0 1.10 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र आकलित है (अनुलग्नक–VII)। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत कुल 51 एकड़ (102 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है।

(iv). मोती "पालन" की योजना–

राज्य में मीठे पानी के मोती उत्पादन (Freshwater Pearl Culture) को एक नवाचार, उच्च मूल्य एवं रोजगारोन्मुख जल कृषि गतिविधि के रूप में विकसित करने की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। राज्य में उपलब्ध प्राकृतिक जल संसाधन–जैसे तालाब, नदियाँ एवं जलाशयमोती उत्पादन के लिए अनुकूल हैं। मोती उत्पादन हेतु आवश्यक सीपियों विशेष रूप से तालाबों, नदियों अथवा जलाशयों जैसे प्राकृतिक जल निकायों में उपलब्ध है जहाँ स इसे पर्याप्त मात्रा में संग्रहण किया जा सकेगा।मोती "पालन" अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में उच्च आर्थिक लाभ प्रदान करती है तथा छोटे एवं सीमांत किसानों, मत्स्यजीवियों एवं स्वंय–सहायता समूहों के लिए आय का एक वैकल्पिक एवं आकर्षक श्रोत बन सकती है। इसके अतिरिक्त, मोती का बाजार मूल्य अधिक होने के कारण यह उद्यम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहायक है। बिहार में अभी इस क्षेत्र का व्यापक विकास नहीं हुआ है। अतः CIFA, भुवनेश्वर के सहयोग से मोती पालन से सम्बन्धित प्रशिक्षण एवंतकनीकी मार्गदर्शन तथा कृषकों को प्रारंभिक निवेश सहायता प्रदान कर इसे बढ़ावा दिया जा सकता है। इस प्रकार, मीठे पानी के मोती उत्पादन का प्रोत्साहन राज्य में मत्स्य क्षेत्र के विविधीकरण, रोजगार सृजन एवं सतत आजीविका के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध होगा।

मोती पालन का इकाई लागत मो0 2.246 लाख/0.5 एकड़ जलक्षेत्र आकलित है (अनुलग्नक–VIII)। वित्तीय वर्ष 2026–27 में इस योजना के तहत कुल 50 एकड़ (100 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है।

10. योजना का भौतिक, वित्तीय आकार एवं समय–सीमा :–

चतुर्थ कृषि–रोड–मैप के तहत मत्स्य प्रजाति विविधिकरण को "फोकस्ड एरिया" के रूप में चिन्हित किया गया है। वर्तमान प्रस्ताव चतुर्थ कृषि रोड मैप के तहत स्वीकृत योजना के अंतर्गत है। इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026–27 में निजी क्षेत्रों में माइनर कार्प, कैट फिश पालन, झींगा तथा मोती का क्रमशः 65 एकड़ (130 यूनिट), 62.5 एकड़ (125 यूनिट), 51 एकड़ (102 यूनिट) तथा 50 एकड़ (100 यूनिट) जलक्षेत्र में पालन करने का लक्ष्य है।

योजनान्तर्गत माइनर कार्प, कैट फिश पालन, झींगा तथा मोती का कुल 228.50 एकड़ जलक्षेत्र (457 यूनिट) में पालन मात्स्यिकी पर 13.00 लाख प्रशासनिक व्यय सहित कुल ₹389.65 लाख (तीन करोड़ नवासी लाख पैंसठ हजार रू0) राशि व्यय होने का अनुमान है (विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–I एवं II के रूप में सुलग्न)। साथ ही, योजनान्तर्गत अवयववार, जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की विस्तृत विवरणी अनुलग्नक–IX के रूप में संलग्न है।

11. लाभुकों का चयन :–

(i). मत्स्य प्रजाति विविधिकरण योजना हेतु लाभुकों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किया जाएगा। इस हेतु योजना स्वीकृति के उपरांत मत्स्य निदेशालय, बिहार, पटना के द्वारा राज्य–स्तरीय दैनिक समाचार–पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा।

(ii). आवेदक के द्वारा पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (स्वंय–अभिप्रमाणित), आधार–कार्ड, इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अंशदान (स्वयं अथवा बैंक ऋण द्वारा) का सहमति–पत्र जमीन संबंधी कागज़ात आदि आवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा।

(iii). एक व्यक्ति/परिवार को योजनान्तर्गत "पालन मात्स्यिकी" में से किसी एक अवयव का ही सब्सिडी हेतु अनुमान्यता होगी। साथ ही "पालन मात्स्यिकी" में एक व्यक्ति/परिवार को किसी भी एक अवयव अधिकतम 01 एकड़ (02 इकाई) तथा न्यूनतम 0.25 एकड़ जलक्षेत्र की अनुमान्यता होगी।

(iv). योजना के तहत "पालन मात्स्यिकी" हेतु नीजी/लीज (एकरारनामा 11 माह)/वैध पट्टा (सरकारी बंदोबस्त तालाब में) पर तालाबइकाई का होना आवश्यक है। लीज से संबंधित निबंधित एकरारनामा अथवा 1000 रूपया के नन–जुडीसियल स्टाम्प पर की गई एकरारनामा आवेदन के साथ संलग्न की जाएगी। नन–जुडीसियल स्टाम्प पर एकरारनामा के मामला में भू–स्वामित्व प्रमाण–पत्र अथवा अद्यतन मालगुजारी रसीद (एक वर्ष पूर्व का) आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(v). भूमि स्वामित्व प्रमाण–पत्र/लीज एकरारनामा पर ली गई भूमि से संबंधित दस्तावेज, जमीन का नक्शा, राजस्व रसीद, आवेदक के द्वारा प्रस्तावित भूमि के साथ अपना पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा। फोटोग्राफ में लैण्डमार्क/विभेदक–चिन्ह् स्पष्ट हो ताकि स्थल–निरीक्षण के क्रम में प्रस्तावित भूमि का सुलभता के साथ पहचान हो सके।

(vi). लाभुक का चयन, आवेदन के साथ संलग्न कागज़ातों के आधार पर क्षेत्रीय प्रभारी के स्थल–जाँचोपरांत जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उप मत्स्य निदेशक के अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा।

12. योजना का क्रियान्वयन :– योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में "पालन मात्स्यिकी" अवयव निजी/सरकारी तालाब (पट्टेधारी के द्वारा) में क्रियान्वित किया जा सकेगा।

13. सब्सिडी भुगतान :– योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी की अनुमान्यता सभी वर्गो के लाभुकों के लिए होगी।शेष राशि तथा लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन किया जायेगा।योजनान्तर्गत निर्धारित इकाई लागत से अधिक व्यय होने पर अतिरिक्त राशि का वहन लाभुक द्वारा स्वलागत अथवा बैंक ऋण के माध्यम से किया जायेगा।

(क) "पालन मात्स्यिकी" हेतु –

प्रथम किश्त – तालाब की तैयारी के पश्चात् वांछित मत्स्य बीज (माइनर कार्प/कैट फिश/झींगा/मोती पालन) के संचयन के पश्चात् देय सब्सिडी का 60 प्रतिशत भुगतेय होगा।

दूसरा किश्त – इनपुट के क्रय संबंधी भौतिक सत्यापनोपरांत देय सब्सिडी का 40 प्रतिशत भुगतेय होगा।

(i). अनुदान की द्वितीय किस्त राशि का भुगतान इनपुट सामाग्रियों के क्रय के उपरान्त कार्यालय में समर्पित अभिश्रवों के आलोक में क्षेत्रीय प्रभारी पदाधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापनोपरान्त गठित समिति के अनुमोदनोपरान्त सम्बन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा लाभुक के बैंक खाते में RTGS/NEFT/DBT के माध्यम से ही किया जाएगा ताकि अनुदान की राशि वित्तीय वर्ष में ही व्यय हो सके।

(ii). योजनान्तर्गत इनपुट संबंधित कायर्ण्णें का ब्योरा मत्स्य प्रसार पदाधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदित की जाएगी।

(iii). सब्सिडी की प्रथम/द्वितीय किश्त क्षेत्रीय प्रभारी के प्रतिवेदन के आलोक में परिक्षेत्र– स्तरीय कमिटी के समक्ष विचारित होगा तथा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सब्सिडी का भुगतान जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा।

(iv). अंतिम किश्त की सब्सिडी हेतु क्षेत्रीय प्रभारी का तथ्यात्मक प्रतिवेदन एवं जिला मत्स्य पदाधिकारी के अनुशंसा के आलोक में गठित समिति के समक्ष विचारार्थ हेतु उपस्थापित की जाएगी।

(v). योजनान्तर्गत वर्णित अवयवों में सब्सिडी का भुगतान संबंधित परिक्षेत्र–स्तर पर उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुशंसा के उपरांत संबंधित जिला के जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। सब्सिडी राशि का भुगतान लाभुक के बैंक खाते में RTGS/NEFT/DBT के माध्यम से ही किया जाएगा।

14. अन्य क्रियान्वयन निदेश :–

(i) योजनान्तर्गत ₹ 13.00 लाख राशि प्रशासनिक व्यय (आकस्मिकता एवं जन जागरूकता) मद में व्यय हेतु कर्णांकित किया गया है। प्रशासनिक व्यय के तहत कर्णाकित राशि से प्रश्नगत।

(ii) योजना का प्रचार–प्रसार, प्रशिक्षण/कृषक गोष्ठी, योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण, आवश्यक सांगठनिक एवं तकनीकी सहयोग, कम्प्यूटर एवं इससे सम्बद्ध सामाग्री, फर्निचर, बैनर, पोस्टर, पेम्फ्लेट, फोटोग्राफी हेतु कैमरा, वृत चित्र एवं लघु फिल्म, कॉफी बुक, प्रलेखन आदि कार्यो परव्यय किया जा सकेगा।

(iii) योजना क्रियान्वयन के उपरांत योजनान्तर्गत उत्पादित "पालन मात्स्यिकी" से माइनर कार्प/कैट फिश/झींगा/मोती उत्पादन का आँकड़ा प्रजातिवार जिला मत्स्य कार्यालय में समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(iv) इस योजना के कार्यान्वयन एवं राशि निकासी में यदि कोई कठिनाई परिलक्षित होती है तो विभागीय अनुमोदन से निदेशक मत्स्य आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश/अनुदेश निर्गत कर सकेंगे, लेकिन व्यय स्वीकृत राशि के अन्तर्गत सीमित रहेगा।

(v) योजनान्तर्गत पालन मात्स्यिकी इकाई पर पक्का बोर्ड लाभार्थी द्वारा लगाना अनिवार्य होगा। बोर्ड चार फीट खड़े लोहे के एंगल पर 4X3 फीट आकार के लोहे के चादर का होगा जिसपर पेंट से विवरणी अंकित होगा।

(vi) बोर्ड पर अंकित विवरणी का प्रारूप निम्न होगा–

बिहार सरकार
डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग
मत्स्य निदेशालय, पटना।

योजना का नाम एवं वर्ष–
अवयव का नाम–
लाभुक का नाम एवं पता– सब्सिडी की राशि–
प्राक्कलित/लागत राशि– आच्छादित जलक्षेत्र–

(i). उक्त योजना हेतु उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र की अध्यक्षता में गठित समिति, लाभुक का चयन, सब्सिडी भुगतान हेतु अनुशंसा एवं योजना के कार्यान्वयन में स्थानीय स्तर पर होने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए सुझाव समय–समय पर विभाग/निदेशालय को देगी जिसमें निम्न सदस्य होंगे–

1 उप मत्स्य निदेशक, परिक्षेत्र – अध्यक्ष
2 जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी – सदस्य
3 मत्स्य प्रसार पदाधिकारी – सदस्य
4 कनीय अभियंता – सदस्य
5 मत्स्य विकास पदाधिकारी – सदस्य

15. योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, बिहार, पटना/जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (संबंधित) होंगे।

16. योजनान्तर्गत स्वीकृति राशि के अनुरूप निदेशक मत्स्य के द्वारा आवंटनादेश निर्गत किया जाएगा।

17. वित्त विभाग के पत्रांक–7355 दिनांक 05.10.2007 में सन्निहित प्रावधान के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

18. मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117–मत्स्य सम्पदा– सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 के विषय शीर्ष–0117.33.01 –सब्सिडी एवं विषय शीर्ष–0117.13.01 –कार्यालय व्यय में उपबंधित राशि से व्यय किया जायेगा।

19. यह स्कीम सात निश्चय–2 के तहत एक चालू स्कीम है। इस स्कीम की लागत मूल्य 05.00 करोड़ से कम है। इसलिए वित्त विभागीय संकल्प–12888, दिनांक–03.12.2024 में प्रत्यायोजित वित्तीय शक्ति के आलोक में स्कीम की स्वीकृति के प्रस्ताव एवं राज्यादेश प्रारूप में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)15/2024 के पृष्ठ–48/टि०, दिनांक–18.04.2026.

20. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। संचिका संख्या–6 एस०एस०(6)15/2024 के पृष्ठ संख्या–48/टि० डायरी क्रमांक–236, दिनांक–16.04.2026.

21. इस योजना के तहत स्वीकृत राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन,

(कुमार रवीन्द्र)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024–1971 /पटना–15,दिनांक–27/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित सभी कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15/2024–1971 /पटना–15,दिनांक–27/04/2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित वित्त विभाग (बजट एवं योजना शाखा)/योजना एवं विकास विभाग/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15 / 2024– 1971 / पटना–15,दिनांक– 27 / 04 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / सभी संयुक्त मत्स्य निदेशक / सभी उप मत्स्य निदेशक परिक्षेत्र / परियोजना निदेशक, बी०एल०डी०ए० पटना / सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15 / 2024– 1971 / पटना–15,दिनांक– 27 / 04 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित निदेशालय के सभी पदाधिकारियों एवं सहायकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15 / 2024– 1971 / पटना–15,दिनांक– 27 / 04 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभाग के सभी पदाधिकारी / विभागीय योजना शाखा के सहायक प्रशाखा पदाधिकारी को अतिरिक्त पाँच प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः– 6 एस०एस०(6)15 / 2024– 1971 / पटना–15,दिनांक– 27 / 04 / 2026.

प्रतिलिपिः– अनुलग्नक सहित विभागीय सचिव के प्रधान आप्त सचिव / विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–I

वित्तीय वर्ष 2026–27 में मांग सं०–02, मुख्य शीर्ष–2405 –मछली पालन, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उपशीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117 के तहत अनुदानित दर पर ''मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना'' पर होने वाले सम्भावित व्यय की विवरणी।

(राशि लाख में)

क्र०	अवयव का नाम	उप शीर्ष	विषय शीर्ष	लक्ष्य (यू०)	स्वीकृत राशि	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नाम	कोषागार का नाम
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन की योजना (यूनिट में) (01 यूनिट = 0.5 एकड़)	लघु शीर्ष–101 –अन्तर्देशीय मछली पालन, उप शीर्ष–0117 –मत्स्य सम्पदा–सात निश्चय–2, विपत्र कोड 02–2405001010117	0117.33.01 –सब्सिडी	130	73.32	निदेशक, मत्स्य, बिहार, पटना / जिला मत्स्य पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी)	संबंधित कोषागार (सभी) बिहार
2	कैट फिश मात्स्यिकी पालन की योजना (यूनिट में) (01 यूनिट = 0.5 एकड़)			125	101.25		
3	झींगा पालन की योजना (यूनिट में) (01 यूनिट = 0.5 एकड़)			102	67.32		
4	मोती पालन की योजना (यूनिट में) (01 यूनिट = 0.5 एकड़)			100	134.76		
5	प्रशासनिक व्यय		0117.13.01 –कार्यालय व्यय		13.00		
			कुल :–	**457**	**389.65**		

कुल (तीन करोड़ नवासी लाख पैंसठ हजार) मात्र।

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–II

वित्तीय वर्ष 2026–27 में "मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण योजना" का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य।

(राशि लाख में)

क्र0	माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन की योजना 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 0.94/यूनिट)			कैट फिश मात्स्यिकी पालन की योजना 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.35/यूनिट)			झींगा पालन की योजना 01 यूनिट= 0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.10/यूनिट)			मोती पालन की योजना (एकड़ में) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 2.246/यूनिट)			प्रशासनिक व्यय	कुल सब्सिडी राशि (4+7+10+13+14)
	लाभुक (सब्सिडी 60 प्रतिशत)													
	यूनिट	राशि	सब्सिडी	यूनिट	राशि	सब्सिडी	यूनिट	राशि	सब्सिडी	यूनिट	राशि	सब्सिडी		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	130	122.20	73.32	125	168.75	101.25	102	112.20	67.32	100	224.60000	134.76000	13	**389.65000**

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–III

देशी एवं विदेशी मछलियों की सम्भाव्य (Potential)समूहवार विवरणी

A. भारतीय एवं अनुशंसित विदेशी मेजर कार्प एवं अन्य संभाव्य मछलियों की सूची :–

भारतीय मेजर कार्प

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	2	3	4	5
1.	*Labeo rohita*	Rohu	Rohu	
2.	*Catla catla*	Catla	Catla/Bhakur	
3.	*Cirrhinus mrigala*	Mrigal	Naini/Mrigal	

विदेशी मेजर कार्प, कैट फिश एवं अन्य :–

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	2	3	4	5
1.	Ctenopharyngodon idellus	Grass carp	Grass Carp	
2.	*Hypophthalmichhys molirix*	Silver carp	Silver Carp	
3.	*Cyprinus carpio var. Communis*	Common carp	Common Carp	
4.	*Cyprinus carpio*	Amur Carp	Amur	
5.	*Pangasianodon hypophthalmus*	Pangasius	Pangas	
6.	*Tilapia Nilotica*	Gift Tilapia	Tilapia	

B.देशी संभाव्य (potential)माइनर/मेडियम कार्प की सूची :–

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	2	3	4	5
1.	*Labeo fimbriatus*	Fringelipped carp		
2.	*Labeo calbasu*	Calbasu	Calbashu	
3.	*Labeo goninus*	Gonius	Kursa/kurre	
4.	*Labeo bata*	Bata	Bata	
5.	*Cirrhinus reba*	Reba	Reba	
6.	*Puntius sarana*	Barb	Darhi	
7.	*Amblypharangadon mola*	Mola	Mara	

C.देशी कैट फिश एवं अन्य संभाव्य (potential) मछलियों की सूची :–

Sl.	Species	English Name	Common Name	Remarks
1	2	3	4	5
1.	*Clarias batrachus*	Mangur	Desi Mangur	
2.	*Heteropnoustes fossilis*	Singhi	DesiSinghi	
3.	*Ompok bimaculetus*	Butter cat fish/Pabda	Pabo/Pabda	
4.	*Eutropichthys vacha*	Vacha	Bachwa	
5.	*Ophiocephalus species*	Murrels	Bhaura/Garai/Saura	
6.	*Anabas testudinus*	Climbing perch	Kabai	
7.	*Chitala chitala*	Feather back	Moi	
8.	*Mystus species*	Mystus	Tengra	

नोट :– उक्त वर्णित संभाव्य (potential) माइनर/मेडियम कार्प एवं कैट फिश की सूची सांकेतिक है जिसमें बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हो सकती है।

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव
22/4

अनुलग्नक–IV

माइनर कार्प की पालन हेतु बीज का सम्भावित दर

क्र०	प्रजाति	संचयन दर/0.5 एकड़ (फ्राई)	अनुमानित दर/पीस (परिवहन सहित) (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	*L.bata*	6000.00	4.00	
2	*L.calbasu*	5000.00	4.00	
3	*L.fimbriatus*	6000.00	5.00	
4	*C.reba*	5000.00	5.00	
5	*L.gonius*	10000.00	3.00	
6	*Puntius species*	10000.00	3.00	

माइनर कार्प के बीज का औसत दर रुपये 4.00 प्रति पीस (परिवहन/पैकिंग व्यय सहित) अनुमानित है।

कैट फिश एवं अन्य की पालन हेतु बीज का सम्भावित दर –

क्र०	प्रजाति	संचयन दर/0.5 एकड़ (फ्राई)	अनुमानित दर/पीस (परिवहन सहित) (रु० में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	*Mangur*	10000.00	5.00	
2	*Singhi*	10000.00	4.00	
3	*Pabda*	12000.00	5.00	
4	*Murrels*	10000.00	5.00	
5	*Kabai*	10000.00	6.00	
6	*Chital*	5000.00	5.00	
कैट फिश के बीज का औसत दर रुपये 6.00/पीस (परिवहन/पैकिंग व्यय सहित) अनुमानित है।				

नोटः– 1. उपर्युक्त वर्णित बीज दर वर्तमान बाज़ार दर के आधार पर आंकलित है जिसमें बढ़ोत्तरी/घटोत्तरी हो सकती है परन्तु योजनान्तर्गत सब्सिडी हेतु वर्णित दर ही अनुमान्य होगा।

2. बायोफ्लॉक एवं आर०ए०एस० में बीज का संचयन दर (कैट फिश एवं वायुश्वांसी मछली) का क्रमशः 8000 पीस फ्राई (बायोफ्लॉक) एवं 10000 पीस फ्राई (आर०ए०एस०) प्रति 100 घन मी० जल की दर से की जा सकेगी।

1971
27/04/20

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–V

Unit Cost Estimation for "Culture of Minor Carp"

for unit water area – 0.5 Acre

(**Culture Species** - *Labeo fimbriatus, L.calbasu, L. goninus, L.bata, Cirrhinus reba, A.mola &Puntius sarana etc.*)

Average Stocking Density - @30,000 Fry/ha. Or 6000/0.5 Acre

Sl	Particular/Items	Quantity	Rate/Unit	Expenditure (Rs)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cost of seed (Including packaging & transportation) Fry size	6000.00	4.00	24000.00	
2	Cost of Pond preparation (Cost of therapeutic & other chemicals & medicines)	0.5 Acre	@50,000/ hac.	15000.00	
3	Cost of feed(Sinking pellated feed)	1000 kg	40.00	40000.00	
4	Cost of Labor, medicine etc.	L.S	-	10000.00	
5	Miscellaneous	L.S	-	5000.00	
	Total			**94000.00**	

Note:- The above particulars & its prices are indicative and may change within the stipulated total cost.

Economics :-

Productions :-

Culture period – 08 months

Mortality rate - 20%

Harvesting Size – Average weight 150gm.

A. Expected fish production - 700kg

B. Income :–

Out of sales proceeds of fish - @Rs160/kg x 700kg = 1,12,000.00

C. Recurring Cost – 94,000.00

D. Net Income :– B - C = 1,12,000.00 – 94,000.00 = Rs 18,000.00

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VI

Unit Cost Estimation for "Culture of Cat Fishes & Others"

for unit water area – 0.5 Acre

(**Culture Species** - Mangur, Singhi, Pabda, Murrels, Kabai, Chital, Tilapia etc.)

Average Stocking Density - @50,000 Fry/ha. Or 10000/0.5 Acre

Sl.	Particular/Items	Quantity	Rate/Unit	Expenditure (Rs)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cost of seed (Including packaging & transportation) Fry size	10000.00	6.00	60000.00	
2	Cost of Pond preparation (Cost of therapeutic & other chemicals & medicines)	0.5 Acre	@50,000/ hac.	15000.00	
3	Cost of feed(Sinking pellated feed)	1000kg	45.00	45000.00	
4	Cost of Labor, medicine etc.	L.S	-	10000.00	
5	Miscellaneous	L.S	-	5000.00	
	Total			**135000.00**	

Note:- The above particulars & its prices are indicative and may change within the stipulated total cost.

Economics :-

Productions :-

Culture period – 08 months

Mortality rate - 20%

Harvesting Size – Average weight 80gm.

A. Expected fish Production – 600kg

B. Income :–

Out of sales proceeds of fish - @Rs350/kg x 600kg = 2,10,000.00

C. Recurring Cost – 1,35,000.00

D. Net Income :– B - C = 2,10,000.00 – 1,35,000.00 = Rs 75,000.00

1971
19/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VII

Unit Cost Estimation for "Culture of fresh water prawns" (Scampy/Maha-Jhinga) for unit water area – 0.5 Acre

Average Stocking Density - @40,000 PL20/ha. Or 8000/0.5 Acre

Sl.	Particular/Items	Quantity	Rate/Unit	Expenditure (Rs)	Remarks
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Cost of Scampy seed (Including packaging & transportation) PL-20 & above	8000.00	6.00	48000.00	
2	Cost of Pond preparation (Cost of therapeutic& other chemicals &medicines)	0.5 Acre	@50,000/hac.	10000.00	
3	Cost of feed (Sinking pellated feed)	550 kg	60.00	33000.00	
4	Cost of periodical netting & Labor charge (at fortnightly)	L.S	-	12000.00	
5	Miscellaneous/Unforeseen expenditure	L.S	-	7000.00	
	Total :-			**1,10,000.00**	
				(Rupees One lakh ten thousand)	

Economics :-

Productions :-

Culture period – 08 months
Mortality rate - 20%
Harvesting Size – Average weight 60gm.

A. Expected Scampy Production - 350kg

B. Income :–

Out of sales proceeds of Scampy - @Rs400/kg x 350kg = 1,40,000.00

C. Recurring Cost – 1,10,000.00

D. Net Income :– B - C = 1,40,000.00 - 110000.00 = Rs 30,000.00

1971
27/04/26

2214

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक–VIII

Fresh Water Pearl Farming Unit Cost

(Pond Area - 0.5 Acre)

(No. of Mussels used for Culture-2000)

Sl.	Particulars	Unit Cost (Rs.)	Unit	Quantity	Total Cost (Rs.)
1	2	3		4	5
A. Infrastructural Development Cost (Capital Cost)					
1.	Pond preparation for 0.5 acre water area	10000	L.S.	L.S.	10000
2.	Bamboo Poles	220	Nos.	50	11000
3.	Nylon Rope Thick	1000	kg	5	5000
4.	Nylon Rope Thin	1000	kg	2	2000
5.	CCU Tray/Steel Tray	300	Nos.	10	3000
6.	Labour for fabrication & Installation	660	Nos.	10	6600
7.	FRP/Ferro Cement Tank (Capacity-100 litre) for acclimatization of mussels	2500	Nos.	4	10000
8.	Surgical Tools Set	5000	Nos.	1	5000
9.	For Operating Process Furniture (Stand)	2500	Nos.	2	5000
10.	Weighing Balance	1600	Nos.	1	1600
11.	TDS Digital Meter & pH Paper	1000	pcs.	1	1000
12.	Aerator/Air Blower	5000	pcs.	1	5000
13.	Oxygen Pipe	500	bundle	1	500
14.	Stone Balls	25	pcs.	40	1000
15.	T-Connector	30	pcs.	30	900
16.	Floating Balls	50	pcs.	320	16000
17.	Miscellaneous	-	-	-	1000
Total (A)		-	-	-	**92600**
B. Operational Cost					
1.	Cost of Mussel Seeds	20	pcs.	2000	40000
2.	Nucleus for Designing Pearl	12	Nos.	4000	48000
3.	Labour Hiring Charges for Seeding	660	Nos.	6	3960
4.	Medicine/Antibiotic	2000	set	1	2000
5.	Lime	20	kg	50	1000
6.	Cow Dung	3	kg	800	2400
7.	Urea	15	kg	40	600
8.	Single Super Phosphate	20	kg	50	1000
9.	Labour Charge for Processing of Pearl after Harvesting	5	pcs.	2000	10000
10.	Electricity including Other Miscellaneous	L.S.	L.S.	L.S.	24000
Total (B)		-	-	-	**132000**
Grand Total (A+B)		-	-	-	**224600**

Note:-The above items & its prices are indicative & may vary and interchangeable as per local needs & availability within stipulated unit cost.

Economics:–

Total Income (C) - Return on sale of pearls: 1200 pearls extracted from 2000 mussels (based on 60% survival).

Design Pearls (Grade "A" 10% of total pearl @ Rs.1000 for 120 pearl) – 1.20 lakh

Design Pearls (Grade "B" 20% of total pearl @ Rs.500 for 216 pearl) – 1.08 lakh

Design Pearls (Grade "C" 70% of total pearl @ Rs.100 for 864 pearl) – 0.864 lakh

Total Income – 3.14 lakh

Net Income (D) [(Total Income (C) - Total Operating Costs (B)] = 3.14-1.32=**1.82 lakh**

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-IX

वित्तीय वर्ष 2026–27 में सात निश्चय–2 के तहत "मत्स्य प्रजाति का विविधिकरण" अंतर्गत पालन मात्स्यिकी के विभिन्न अवयवें का जिलावार एवं अवयववार संभावित भौतिक लक्ष्यों की विवरणी

(सभी वर्ग के लाभुकों हेतु–अनुदान 60 प्रतिशत) (राशि लाख में)

क्र0 सं0	जिला	माइनर कार्प मात्स्यिकी पालन योजना (यूनिट) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 0.94/यूनिट)		कैट फिश मात्स्यिकी पालन योजना (यूनिट) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.35/यूनिट)		झींगा पालन योजना (यूनिट) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 1.1/यूनिट)		मोती पालन योजना (यूनिट) 01 यूनिट=0.5 एकड़ (इकाई लागत 2.246/यूनिट)		प्रशासनिक व्यय (लाख में)	कुल अनुदान राशि
		(लक्ष्य 130 यूनिट)		(लक्ष्य 125 यूनिट)		(लक्ष्य 102 यूनिट)		(लक्ष्य 100 यूनिट)			
		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	पटना	3	1.69200	1	0.81000	2	1.32000	3	4.04280	0.50000	**8.36480**
2	भोजपुर	3	1.69200	4	3.24000	3	1.98000	2	2.69520	0.50000	**10.10720**
3	बक्सर	3	1.69200	2	1.62000	3	1.98000	2	2.69520	0.50000	**8.48720**
4	रोहतास	4	2.25600	4	3.24000	1	0.66000	2	2.69520	0.25000	**9.10120**
5	कैमुर	2	1.12800	1	0.81000	1	0.66000	2	2.69520	0.50000	**5.79320**
6	नालंदा	3	1.69200	4	3.24000	2	1.32000	3	4.04280	0.25000	**10.54480**
7	गयाजी	1	0.56400	1	0.81000	1	0.66000	2	2.69520	0.50000	**5.22920**
8	जहानाबाद	1	0.56400	1	0.81000	1	0.66000	2	2.69520	0.50000	**5.22920**
9	अरवल	2	1.12800	1	0.81000	2	1.32000	2	2.69520	0.50000	**6.45320**
10	औरंगाबाद	2	1.12800	2	1.62000	2	1.32000	2	2.69520	0.50000	**7.26320**
11	नवादा	3	1.69200	2	1.62000	1	0.66000	2	2.69520	0.25000	**6.91720**
12	मुजफ्फरपुर	7	3.94800	7	5.67000	7	4.62000	4	5.39040	0.50000	**20.12840**
13	वैशाली	3	1.69200	2	1.62000	3	1.98000	3	4.04280	0.25000	**9.58480**
14	सीतामढ़ी	4	2.25600	3	2.43000	2	1.32000	3	4.04280	0.25000	**10.29880**
15	पू० चम्पारण	6	3.38400	6	4.86000	3	1.98000	4	5.39040	0.50000	**16.11440**
16	प० चम्पारण	5	2.82000	3	2.43000	5	3.30000	4	5.39040	0.25000	**14.19040**
17	शिवहर	3	1.69200	2	1.62000	5	3.30000	2	2.69520	0.25000	**9.55720**
18	सारण	1	0.56400	4	3.24000	1	0.66000	3	4.04280	0.25000	**8.75680**
19	सिवान	5	2.82000	4	3.24000	2	1.32000	3	4.04280	0.25000	**11.67280**
20	गोपालगंज	2	1.12800	1	0.81000	2	1.32000	3	4.04280	0.25000	**7.55080**
21	भागलपुर	6	3.38400	5	4.05000	2	1.32000	4	5.39040	0.50000	**14.64440**
22	बॉका	1	0.56400	6	4.86000	2	1.32000	3	4.04280	0.50000	**11.28680**
23	मुंगेर	2	1.12800	2	1.62000	2	1.32000	2	2.69520	0.25000	**7.01320**
24	लखीसराय	2	1.12800	1	0.81000	2	1.32000	2	2.69520	0.25000	**6.20320**
25	शेखपुरा	1	0.56400	1	0.81000	2	1.32000	2	2.69520	0.25000	**5.63920**
26	जमुई	3	1.69200	4	3.24000	2	1.32000	2	2.69520	0.25000	**9.19720**
27	खगड़िया	5	2.82000	5	4.05000	6	3.96000	3	4.04280	0.25000	**15.12280**
28	बेगूसराय	4	2.25600	5	4.05000	1	0.66000	2	2.69520	0.25000	**9.91120**
29	सहरसा	3	1.69200	5	4.05000	3	1.98000	2	2.69520	0.25000	**10.66720**
30	सुपौल	2	1.12800	1	0.81000	2	1.32000	2	2.69520	0.50000	**6.45320**
31	मधेपुरा	5	2.82000	4	3.24000	1	0.66000	2	2.69520	0.25000	**9.66520**
32	कटिहार	4	2.25600	2	1.62000	4	2.64000	3	4.04280	0.25000	**10.80880**
33	पूर्णियाँ	4	2.25600	4	3.24000	2	1.32000	3	4.04280	0.25000	**11.10880**
34	अररिया	4	2.25600	4	3.24000	2	1.32000	2	2.69520	0.25000	**9.76120**
35	किशनगंज	4	2.25600	4	3.24000	3	1.98000	2	2.69520	0.25000	**10.42120**
36	दरभंगा	6	3.38400	5	4.05000	5	3.30000	4	5.39040	0.50000	**16.62440**
37	मधुबनी	4	2.25600	5	4.05000	7	4.62000	4	5.39040	0.25000	**16.56640**
38	समस्तीपुर	7	3.94800	7	5.67000	5	3.30000	3	4.04280	0.25000	**17.21080**
	कुल :–	**130**	**73.32000**	**125**	**101.25000**	**102**	**67.32000**	**100**	**134.76000**	**13.00000**	**389.65000**

नोट–जिलावार लक्ष्य का निर्धारण जिलों के मांग तथा गत वर्षो की उपलब्धि के आधार पर की गई है।

1971
27/04/26

सरकार के संयुक्त सचिव